न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 64 / 2022

1 कालुराम पुत्र लादू जाति माली निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
2 जगदीश प्रसाद पुत्र बीरबल जाति माली निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
3 मंगला पुत्र लादूराम जाति माली निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
4 ताराचन्द पुत्र दुर्गाराम जाति मीणा निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
5 मोहन पुत्र बीरबल जाति माली निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
6 श्रीराम पत्रु बीरबल जाति माली निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
7 रामचन्द्र पुत्र बीरबल जाति माली निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
8 विजेश पुत्र बीबरल जाति माली निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बल्ला पुत्र गोविन्द जाति मेघवाल निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
2 लक्ष्मण पुत्र छोटुराम जाति मेघवाल निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

3 बिसना पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
4 मंगेज सिंह पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
5 हनुमान सिंह पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
6 सन्तोष पुत्री बीरबल जाति माली निवासी हीरवाना तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
7 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश पारित उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने उनवानी बल्ला आदि बनाम कालूराम आदि प्रकरण संख्या 100/2019 अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्त.अधि. में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 को अपास्त व निरस्त किये जाने हेतु

उपस्थिति :

1. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 100/2019 में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 434, 461, 462 वाके ग्राम हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी नम्बर 5 लगायत 8 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 441 से रास्ते बाबत आदेशित किया गया है लेकिन उनके पक्षकार बनने के बाद मूल प्रार्थना पत्र में कोई संसोधन रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने नहीं करवाया था तथा अपीलार्थी नम्बर 5 लगायत 8 मूल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं थे, इसलिये उनके विपरित मूल प्रार्थना पत्र में कोई सहायता नही चाही गई थी, इसके बावजूद उनके विपरित जो सहायता बिना रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 के चाहे जाने के विचारण न्यायालय द्वारा दी गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने यह अंकित किया है कि भूमि खसरा नम्बर 441 बाबत विवाद अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट का तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां चलकर दिनांक 24.12.2010 तहसीलदार द्वारा निर्णय करके दिनांक 02.01.2011 को मौके पर रास्ता खुलवाया गया था तथा प्रस्तुत प्रकरण के प्रार्थीगण को अपने खेत तक प्रवेश करवाया गया था विधिक स्थिति के अनुसार जहां पर नया रास्ता कायम करना हो, उसी स्थिति में धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागु होते है, अन्यथा नहीं होते है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 के कथनानुसार प्रकरण में रास्ता पूर्व से चालु है, उक्तानुसार प्रकरण में धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कोई सहायता नही दी जा सकती थी। मौके पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 के खेत खसरा नम्बर 461 व 462 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उत्तर दिशा में भूमि खसरा नम्बर 561/465 व 562/465 गैर मुमकिन डोल अवस्थित है, जो राजस्थान सरकार के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है, जिससे होकर भूमि खसरा नम्बर 434 व 461, 462 में आवागमन चालु है, जिसमें कोई बाधा नहीं है, उक्त रास्ता सुविधा की दृष्टि से लघुत्तत व सुविधाजनक है, जिससे आराम से आवागमन होता है उक्त रास्ता कई खेतों को लगता है, जो काफी सुविधाजनक रास्ता है, भूमि खसरा नम्बर 434, 461 व 462 व उसके आस पास के खसरा नम्बरान के मध्य से गुजरता है जो आगे काफी खेतों को जाता है जो पुश्तैनी रास्ता है, इस रास्ते ही सभी आवागमन करते है, इसलिए वैकल्पिक रास्ता होने के कारण अलग से नया रास्ता कायम करवाने का कोई अधिकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 को नही था जिस बाबत कोई विवरण विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में अंकित नहीं किया है, उक्तानुसार वैकल्पिक रास्ते बाबत कोई विवरण अंकित नहीं करके आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने जिस भूमि बाबत रास्ता क्लेम किया है उक्त भूमि का खातेदार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 है, इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 5 को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया था, उक्तानुसार प्रकरण मे मिस जाइन्डर ऑफ पार्टी का नुक्स होने के बावजूद जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश में तहसीलदार, गुढ़ागौड़जी को रास्ता कायम करने बाबत आदेशित किया गया है लेकिन तहसीलदार गुढ़ागौड़जी प्रकरण में पक्षकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.09.2021 की तहसीलदार द्वारा अक्षरशः पालना नही करने के बावजूद मौका रिपोर्ट दिनाक 08.03.2022 के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह गलत है क्योंकि आदेश दिनांक 30.09.2021 के अनुसार रास्ते के संबन्ध में पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मय नक्शा तैयार करे भिजवाई जानी थी लेकिन मौका रिपोर्ट में अंकितानुसार तहसीलदार, मौका पर नहीं गया, केवल मात्र पटवारी हल्का ने रिपोर्ट तैयार की है तथा पटवारी हल्का ने न तो पक्षकारान को उपस्थिति बाबत कोई नोटिस दिया और ना ही वैकल्पिक रास्ता जिसका विवरण अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में पेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किये गये जवाब में अंकित है, के बाबत कोई जांच की है तथा मौका रिपोर्ट अपलार्थीगण की अनुपस्थिति में है, जबकि विधिक स्थिति के अनुसार मौका रिपोर्ट के लिये केवल मात्र तहसीलदार अधिकृत है। वैकल्पिक रास्तों का उपयोग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 अनवरत रूप से कर रहे है इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है। जो अपीलार्थीगण के अभिवचनों व मौके की स्थिति के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.03.2022 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के भूमि खसरा नम्बर 434, 461 व 462 में आवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 441 में से बिन्दु ए से बी पगडण्डी के रूप में चालू है। इसके अलावा कोई निकटतम रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार कर कोई त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी नम्बर 5 लगायत 8 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 441 से रास्ते बाबत आदेशित किया गया है लेकिन उनके पक्षकार बनने के बाद मूल प्रार्थना पत्र में कोई संसोधन रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने नहीं करवाया था तथा अपीलार्थी नम्बर 5 लगायत 8 मूल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं थे, इसलिये उनके विपरित मूल प्रार्थना पत्र में कोई सहायता नही चाही गई थी, इसके बावजूद उनके विपरित जो सहायता बिना रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 के चाहे जाने के विचारण न्यायालय द्वारा दी गई है। इसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने यह अंकित किया है कि भूमि खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
क्षेत्र राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 441 बाबत विवाद अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट का तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां चलकर दिनांक 24.12.2010 तहसीलदार द्वारा निर्णय करके दिनांक 02.01.2011 को मौके पर रास्ता खुलवाया गया था तथा प्रस्तुत प्रकरण के प्रार्थीगण को अपने खेत तक प्रवेश करवाया गया था विधिक स्थिति के अनुसार जहां पर नया रास्ता कायम करना हो, उसी स्थिति में धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागु होते है, अन्यथा नहीं होते है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 के कथनानुसार प्रकरण में रास्ता पूर्व से चालु है, उक्तानुसार प्रकरण में धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कोई सहायता नही दी जा सकती थी।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में प्रस्तावित रास्ते से अपीलांट की भूमि के दो टूकड़े हो रहे है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर